

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8086

दिनांक - 01/09/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अणदाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रा नगर सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।	1 खेताराम पुत्र तेजाराम बालाराम 3 तुलसाराम गजाराम 5 घमण्डाराम पिसरान भेराराम 7 उदाराम पिसरान किरस्तुराराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रा नगर, सरणू तसहील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर	2 रामाराम पुत्र 4 मलाराम पिसरान 6 राणाराम 8 घमाराम 9 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 338/2025

दिनांक- 25/08/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा इन्द्रा नगर पटवार हल्का सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 615/275 रकबा 0.1619 हैक्टेयर व खसरा संख्या 621/449 रकबा 0.7528 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 01/09/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/8087-8090

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी अणदाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रा नगर सरणू तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी इन्द्रा नगर, सरणू तसहील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर